(136)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

C.F. Rs. 8/-

राजस्व ५८ ... 20/1/94 (मूल)
अधीक्षक
कार्यालय कलेक्टर, रीवा (म. प्र.)

नरेन्द्र प्रताप सिंह तनय रंगनाथ सिंह परिहार निवासी ग्राम बैकुन्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म० प्र०----आवेदक

विरूद्ध

लालमोहम्मद तनय गुलाम अली खां, निवासी ग्राम बैकुन्ठपुर, तह० सिरमौर, जिला रीवा म०प्र०----------अनावेदक

RN/10-1/R/103/94
25.1.94

निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा सम्भाग के प्रकरण क्रमांक 238/अ6/86-87 में पारित आदेश दिनांक 30-10-93, अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्नलिखित हैं:-

1:- यह कि ग्राम बैकुन्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म० प्र० चेक आवादी की भूमि पर आवाद है उक्त चेक आवादी कीभूमि खसरा नं. 359 रकवा 2.39एकड़ के जुज रकवा 160 आरे पर 15-16 वर्ष से आवेदक का मकान स्थित है, जिसमें अनावेदक ने हल्का पटवारी को मिला करके, आवेदक की चोरी में वर्ष 81-82 में अपना नाम दर्ज करा लिया था जिससे दुखित हो करके आवेदक ने दिनांक 13-9-82 को नायब तहसीलदार, प्रभारी बैकुन्ठपुर, तहसील सिरमौर जिला रीवा के न्यायालय में धारा 115/116 म० प्र० भू राजस्व संहिता के तहत उक्त गलत प्रविष्टि दुरूस्त करने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ।

RA. 103/94

जिला- रीवा

15/5/17	आवेदक की मृत्यु हो गई है। आवेदक की वारिसान की जानकारी पेश नहीं। अतः प्रकरण में वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

[कृ. प. उ.